

24/24

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उमयपस
हकीर पीठारीन अधिकारी कुम्ब/अब काय
में व्यक्त है। पत्रावली पूर्व अवेशानुसार
दिनांक.....(1/7/24)....को पेश है।

11/24

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उमयपस
हकीर पीठारीन अधिकारी कुम्ब/अब काय
में व्यक्त है। पत्रावली पूर्व अवेशानुसार
दिनांक...25/7/24...को पेश है।

25/24

पत्रावली पेश हुई/वकील उमयपस उपस्थित/अध्यापी
सेख्या 7 व 8 की विधिगत कार्रवाई के एक माह पश्चात् न्यायालय
में उपस्थित नहीं आते। इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही
अपल में ली जाती है। अध्यापी सेख्या 2 का जवाब पेश करने
हेतु की अवसर दिये जा चुके हैं। लेकिन जवाब आवेदन पेश नहीं
किया है अतः अध्यापी सेख्या 2 का जवाब आवेदन बर्द किया
गया है।

वकील अध्यापी आवेदन के लिये की दोहराते हुये निवेदन
किया की प्रथम माह के निस्कारण लु विवादित दृष्टि भूमि खसरा
नम्बर 709, 711, 708 व 710 वार्ड 7 का केशर नगर पंचवार
एल्का कोलिडा एडमिल सीकर की स्वामी निवेद्याना से पांबद
किया जाना जर्बनीय है।

वकील अध्यापी सेख्या-1 के जवाब आवेदन पेश 2 का सीधी
बदल हेतु निवेदन किया तथा वकील अध्यापी सेख्या 3 व 5
के जवाब आवेदन के लिये की दोहराने बदन दोहराया।
अध्यापी सेख्या-6 के रूपसे जवाब आवेदन कम काउण्ट रखने
के लिये की दोहरान बदन दोहराया।

बदन वकील उमयपस खुनी गई। बदन पर मनन
किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिपोर्ट तथा
अध्यापी मजदारा प्रस्तुत जवाब आवेदन का अवलोकन
किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित
दृष्टि भूमि खसरा नम्बर 709, 711, 708 व 710 वार्ड
7 का केशर नगर पंचवार एल्का कोलिडा एडमिल सीकर
के उमयपस का लवोरान दावा/प्रलवाप के निस्कारण लु
स्वामी निवेद्याना से पांबद किया जाना न्यायालय न्यायोचित
समझला है। अतः उमयपस का मागला व सुविधा का मतलब
अध्यापी के पद के है तथा अध्यापी वकील अध्यापी की ही होगी।
अतः अध्यापी का आवेदन अलजति द्वारा 212

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर
अनिल कुमार मास
उपनि-पल 128/2022

RTI Act की स्वीकार किया जाता है। विवादित दृष्टि
भूमि खसरा नम्बर 709, 711, 708 व 710 वार्ड 7 का
केशर नगर पंचवार एल्का कोलिडा एडमिल सीकर
जिला सीकर में उमयपस का लवोरान दावा/प्रलवाप
के निस्कारण लु एक दुसरे के उपभोग-उपभोग में
बाधा न डालने तथा राजस्व रिपोर्ट की मध्यास्थिति
बनाये रखने हेतु स्वामी निवेद्याना से पांबद किया
जाता है। पत्रावली नैसल सुधार होकर नम्बर 2
कम है। दारिदल दफ्तर

यह नैसल मास दिनांक 25/7/24 को मेरे द्वारा
खुले न्यायालय में खुनाया गया

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर